

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० 75/2022

अशोक कुमार सिंह बनाम गोबरा उराँव वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3

09-06-2022

प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रमारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या-35/22 दिनांक 02/05/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि खाता संख्या-53, प्लॉट नं.-340, रकबा-2.77 एकड़ से संबंधित विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुब्ध हो जाएगी।


अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।


अभिलेख तिथि 18-06-2022 को उपस्थापित करें।


09/06
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

18-04-2022

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला अप्राप्त।
उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 11-07-2022
को रखें।


18/04
अनु० ५०३०

आदेश की संख्या/दिनांक Order No./Date	आदेश एवं पदनामिका का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	आदेश Order
<u>09-01-2023</u>	उभय पक्ष हाजरी। विद्वान अदिवक्तागण-मात्रिक कार्यों से दूर (दफ्तर पर)। दिनांक 30-01-2023 को रखें।	हो-
<u>30-01-2023</u>	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द० प्र० सं० की धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 की अवधि दरः 106) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा दरः 106) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात् वाद कालवाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अदिवक्ता द्वारा भी दोनों पक्षों में शांति बने रहने तथा संबंधित थाना द्वारा भी निर्धारित विधि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को भी सूचित करें।	 कार्यवाही बुद्ध